

L.No 1878

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/

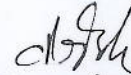
दिनांक: 21.05.2014

आदेश संख्या: 12 / 2014-15

श्री रामकेश मीणा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय- निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज. जयपुर के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(क)(आर-99)अलेसे-1/ 1530-534 दिनांक 10.05.10 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से संबंधित प्रकरणों के अतिरिक्त मामलों से संबंधित अधीनस्थ लेखा सेवा के निलम्बित कार्मिकों को बहाल करने के संबंध में निदेशालय स्तर पर गठित समिति की समीक्षा बैठक दिनांक 11.03.14 में श्री रामकेश मीणा, सहायक लेखाधिकारी को निलम्बन से बहाल करने की, की गई अनुशंसा का अनुमोदन वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(22)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 20.05.14 से किये जाने के फलस्वरूप श्री मीणा (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय कोषालय (पेंशन) जयपुर को निलम्बन से बहाल कर इनका पदस्थापन उपशासन सचिव, उच्च शिक्षा, सचिवालय जयपुर में रिक्त सहायक लेखाधिकारी के पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय इनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जाँच के निर्णय के अधीन किया जावेगा।

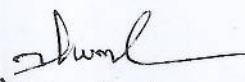

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ 2248-55

दिनांक: 21.05.2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. उपशासन सचिव, उच्च शिक्षा, सचिवालय जयपुर।
3. कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर।
4. श्री रामकेश मीणा (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय कोषालय (पेंशन) जयपुर।
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।


(कै.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)